न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:—0744—2325871

GCMS NO.-2024/93

मिसलनम्बर— 28/2024

1.अर्जुनदास पुत्र श्री गुलाब राय आयु 76 वर्ष जाति सिंधी निवासी 59 गायत्री विहार द्वितीय बोरखेड़ा कोटा

2.धनवन्ती देवी पत्नी श्री अर्जुनदास आयु 72 वर्ष जाति सिंधी निवासी 59 गायत्री विहार द्वितीय बोरखेड़ा कोटा

प्रार्थी।

बनाम

1.दिलीप पुत्र श्री अर्जुनदास आयु 43 वर्ष जाति सिंधी निवासी 59 गायत्री विहार द्वितीय बोरखेड़ा कोटा

2.योगिता पत्नी श्री दिलीप आयु 40 वर्ष जाति सिंधी निवासी 59 गायत्री विहार द्वितीय बोरखेड़ा कोटा

—:निर्णय:—

(भरण—पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना—पत्र।)

दिनांक 29/11/24

उपस्थिति:—

1.श्री मो0 अकरम प्रार्थीगण अधिवक्ता।

2.श्री ब्रजेश जोशी अप्रार्थी कम 2 अधिवक्ता।

भरण—पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् पत्रावली निर्णय प्रार्थना—पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना—पत्र में प्रार्थीपक्ष द्वारा निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण जो कि वरिष्ठ नागरिक है तथा उन्होने अपने स्वयं की अर्जित आय से एक सम्पत्ति जो कि मकान नं0—59, गायत्री विहार द्वितीय, बोरखेडा, कोटा राज० पर बनाई थी जिसका स्वामित्व प्रार्थीगण का है और जिस पर किसी प्रकार का कोई अधिकार अप्रार्थीगण का नही है परन्तु चूंकि अप्रार्थी कम—1 प्रार्थीगण का नैसर्गिक पुत्र है इस कारण वह जन्म से ही प्रार्थीगण के साथ निवास कर रहा है परन्तु जब अप्रार्थी कम—1 का विवाह अप्रार्थिया कम —2 योगिता के साथ किया तब से अप्रार्थी कम—1, अप्रार्थिया कम—2 योगिता के मुताबिक ही प्रार्थीगण के साथ दुर्व्यवहार करने लगा है तथा वह अप्रार्थिया कम—2 के बहकावे में आकर प्रार्थीगण को उनकी स्वयं की सम्पत्ति से बाहर निकालना चाहता है और इसी कम में अप्रार्थीगण ने सोची समझी साजिश के तहत प्रार्थीगण के साथ दुर्व्यवहार करते हुये उनके साथ काफी अपमानजनक व्यवहार किया। यही नही अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को बेवजह परेशान किया हुआ है और अप्रार्थीगण के इन कृत्यो से प्रार्थीगण को इस उम्र में काफी परेशानियो का सामना करना पड रहा है। दोनो अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को लगातार प्रताडित कर रखा है

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा ★

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

तथा वह प्रार्थीगण का कोई भी कार्य नही करते है वरन इन सभी के विपरीत जो भी सामान आवश्यक होता उन सभी सामानो को जबरन ले जाते जिससे प्रार्थीगण को परेशानी होती चूंकि दोनो अप्रार्थीगण आपस में मिले हुये है और इसी कारण अप्रार्थी क्रम–2 ने प्रार्थीगण के साथ अभद्र व्यवहार करते हुये कई मर्तबा प्रार्थिया कम–2 के साथ लडाई–झगडा करते हुये गाली – गलौच कर मारपीट करने पर आमादा भी हो गये जिससे प्रार्थिया कम–2 को काफी चोट भी आई और इसी कम में अप्रार्थीगण द्वारा आपस में मिली भगत एवं सांठ– गांठ कर प्रार्थीगण को काफी परेशान किया जाता रहा है और लगातार परेशान किया जा रहा है। अप्रार्थिया कम–2 प्रार्थीगण के साथ गाली – गलौच कर उन्हें जान से मारने की धमकी देती और कहती कि मैं तुम्हे जान से मार दूंगी और इस सम्पूर्ण सम्पत्ति को मैं अपने कब्जे में कर लूंगी और इन समस्त बातो के पश्चात् भी दोनो अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के मकान में साथ–साथ निवास कर रहे है जो स्पष्ट रूप से इस तथ्य को बखूबी प्रमाणित करता है कि अप्रार्थीगण ने एक सोची समझी साजिश के तहत प्रार्थीगण के विरूद्ध आपराधिक षडयंत्र रच रहे है और चूंकि अप्रार्थी कम–1 प्रार्थीगण का पुत्र है और वह पूरी तरह से अप्रार्थिया कम–2 के दबाव में है और वह कोई भी अनहोनि घटना भी अप्रार्थिया कम–2 के साथ मिलकर कर सकता है और इन समस्त तथ्यो से अप्रार्थीगण को यह पूर्ण विश्वास हो गया है कि अप्रार्थीगण कभी भी प्रार्थीगण के साथ कोई भी कृत्य कर सकते है यहां तक कि प्रार्थिगण को अप्रार्थीगण से जान व माल का खतरा है और इस कारण प्रार्थीगण अपने ही मकान में अप्रार्थीगण की वजह से सुरक्षित नही है । जिसके फलस्वरूप प्रार्थीगण अपना जीवन स्वतंत्र रूप से नही जी पा रहे है और जिसके कारण यह आवश्यक है कि अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण के स्वामित्व व कब्जे, वाले मकान से निकलवाया जाना चाहिए और इस हेतु उन्हे निकलवाये जाने के बाद प्रार्थीगण. अपना जीवन शांतिपूर्ण तरीके से जी सकेंगे। अप्रार्थीगण से प्रार्थीगण ने कई मर्तबा अपने स्वामित्व वाले रिहायश मकान नं०–59, गायत्री विहार द्वितीय, बोरखेडा, कोटा राज० से निकलकर अन्यत्र स्थान पर निवास किये जाने हेतु कहा परन्तु अप्रार्थीगण कतई भी प्रार्थीगण का रिहायश वाला मकान छोड़ने को तैयार नही है तथा उनके द्वारा आये दिन प्रार्थीगण को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित किया जा रहा है। इस हेतु अप्रार्थीगण से प्रार्थीगण का मकान खाली करवाया जाना चाहिए। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि दोनों अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण के रिहायश व स्वामित्व वाले मकान से निकलवाये जाने बाबत आदेश पारित किया जाना चाहिए जिससे प्रार्थीगण अपना जीवन यापन शांतिपूर्वक तरीके से कर सके।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी अप्रार्थी कम 1 की ओर से जवाब पेश नही किया गया अतः जवाब का अवसर बंद किया गया।

अप्रार्थी कम 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि उक्त सम्पत्ति वर्ष 2018 मे वृद्वावस्था की उम्र मे कहाँ से बीस लाख रूपये जैसी राशि मे खरीदी गई उक्त सम्पत्ति को खरीदने मे अप्रार्थी के पति दिलीप द्वारा व्यवसाय की राशि के द्वारा प्रार्थी जो कि माता पिता होने से उनके नाम से खरीद की गई थी कारण कि अप्रार्थी कम –1 ने पूर्व मे पूर्व पत्नि को काफी प्रताडित किया जो सम्पत्ति में हिस्सा मॉगने को तैयार थी इसी वजह से प्रार्थी के नाम अप्रार्थी कम–1 द्वारा खरीद की गई तथा प्रार्थी कोई काम धन्धा नही करते है । इस प्रकार से महज स्वामित्व नाम होने से समस्त अधिकार प्रार्थी को प्राप्त नहीं है। प्रार्थीगण का पुत्र अप्रार्थी कम–1 नैसर्गिक पुत्र होना स्वीकार है एवं जन्म से निवास करना भी स्वीकार है उक्त प्रार्थना पत्र केवल मात्र अप्रार्थीया कम–2 को नाजायज परेशान करने की गरज से

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
को

मिलीभगत से प्रस्तुत किया गया है। यह प्रकट करना असत्य कथन है कि अप्रार्थी कम–1 अप्रार्थी कम–2 के बहकावे में आकर प्रार्थीगण के साथ दुव्यर्वहार करने लगा हो तथा बहकावे मे आकर प्रार्थीगण को उनके नाम की सम्पत्ति मे से बाहर निकालना चाहता हो बल्कि अप्रार्थी कम–1 एवं प्रार्थी कम–1 के विरूद्ध अप्रार्थी कम–2 द्वारा गलत हरकते करने की वजह से एवं मारपीट झगडा कर गाली गलोच करने की वजह से विधिक सूचना पत्र दिनांक 14/08/23 को प्रेषित किया गया था जो प्रार्थी कम–1 एवं अप्रार्थी, कम–1 को प्राप्त होने के पश्चात् भी आचरण व्यवहार मे परिवर्तन नही किया गया तत्पश्चात अप्रार्थी कम–2 द्वारा अप्रार्थी कम–1 एवं प्रार्थीगण के विरूद्ध घरेलु हिंसा से स्त्री का संरक्षण हेतु प्रार्थना पत्र न्यायालय एसीजेएम कम–1 कोटा के समक्ष विचाराधीन है जिसमे अप्रार्थी कम–1 एवं प्रार्थी की उपस्थिति हो चुकी है। इस प्रकार से प्रार्थीगण ने सोची समझी साजिश के आधार पर उल्टा तथ्य प्रकट कर झूठा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है बल्कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी कम–1 की मिलीभगत से उक्त प्रार्थना पत्र झूठे कथनो पर आधारित प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थी कम–1 के विरूद्ध असत्य कथन प्रकट किये गये है जबकि अप्रार्थी कम–2 पिछले एक वर्ष से अधिक समय से एक ही मकान मे निवास करते हुये अलग खाना बनाती है जिसे अप्रार्थी कम–2 एवं अप्रार्थीया के दोनो पुत्रीयों खाकर अपना जीवन निर्वहन करते है तथा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी कम–1 का खाना अलग बनाते चले आ रहे है। इस प्रकार से गलत तथ्यो के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थीया कम–2 ने कभी भी लडाई झगडा गाली गलौच नही किया गया है तथा नही अप्रार्थी कम–1 से मिली हुई है यह कहना भी गलत है कि अप्रार्थीया द्वारा प्रार्थीगण के साथ मारपीट की हो जिससे प्रार्थीया कम–2 के चोटग्रस्त हुई हो अप्रार्थी कम–1 व 2 की आपस मे कोई मिलीभगत एवं सांठ गांठ नही है बल्कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी कम–1 की मिलीभगत से अप्रार्थीया कम–2 को नाजायज आर्थिक शारीरिक मानसिक रूप से परेशान करने की गरज से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं अप्रार्थी कम–2 ने प्रार्थीगण को कोई धमकी नही दी गई हैं तथा किसी भी प्रकार से अप्रार्थीया कम–2 ने प्रार्थीगण की सम्पूर्ण सम्पत्ति को कब्जे में करने के लिये आज तक कोई कार्यवाही शिकायत एवं प्रयास नही किया गया है तथा अप्रार्थी कम–1 से अप्रार्थीया कम–2 की कोई लेना देना नही है पिछले एक वर्ष की अवधि से अधिक समय से अप्रार्थीया कम–2 प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी कम–1 के अलग खाना कर अपना एवं अपनी दोनो पुत्रीयों का भरण पोषण कर रही है तथा अप्रार्थी कम–1 के व्यवसाय मे हाथ बटाने पर अप्राथी कम–1 खाने पीने की व्यवस्था करता है इस प्रकार से प्रार्थीगण ने अप्रार्थी कम–1 की मिलीभगत से अप्रार्थीया कम–2 को नाजायज परेशान करने एवं आर्थिक शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित करने के आशय से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं । अप्रार्थी कम–1 एवं प्रार्थीगण की मिलीभगत से अप्रार्थीया कम– 2 एक अलग कमरे मे दोनो पुत्रीयो सहित निवासरत है जिसमे अप्रार्थी कम–1 ने पिछले एक वर्ष से अधिक समय से प्रवेश नही किया तथा नही अप्रार्थी कम–2 के बातचीत की गई हैं इस प्रकार से अप्रार्थीया कम–2 अप्रार्थी कम–1 एवं प्राथीगण के साथ निवासरत होते हुये भी अजनबी की भाँति निवारत है । प्रार्थीगण के विरूद्ध अप्रार्थीगण ने आपस मे मिलीभगत से कोई षड्यन्त्र नही किया गया है नही अप्रार्थी कम – 1 का अप्रार्थी क्रम–2 से बोलचाल है तब किस प्रकार से अप्रार्थी कम–1 अप्रार्थीया क्रम–2 के दबाव मे रह कर अनहोनी कर सकते है केवल मात्र अप्रार्थीया कम–2 को घर से निकालने के आशय से झूठा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। तथा जानबूझ कर प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीया कम–2 के विरूद्ध थाने मे एप्रोच होने की वजह से झूठी शिकायत करते है तथा नाजायज रूप से अप्रार्थीया कम–2 को परेशान करते है । इस

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

प्रकार से गलत तथ्यो पर आधारित प्रार्थना पत्र दुर्भावनापूर्वक आशय से प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थीया क्रम–2 ने प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी क्रम–1 के विरूद्ध घरेलु हिंसा से स्त्री का संरक्षण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके कारण अप्रार्थी क्रम–1 एवं प्रार्थीगण ने निवास करने मे बाधा उत्पन्न करना कम किया गया है वरना प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी कम–1 ने अप्रार्थीया को मोहल्ले मे पागल घोषित करते हुये आये दिन लडाई झगडा कर अप्रार्थीया को नाजायज परेशान किया गया तथा अप्रार्थी क्रम–2 को पुत्री के साथ गलत व्यवयहार किया गया जिसे भी वृद्ध होने की वजह से नजरअन्दाज किया गया इसी की वजह से अप्रार्थीया क्रम–2 पर गलत आरोप प्रकट किये गये है। तथा उक्त मकान का स्वामित्व अप्रार्थी क्रम–1 ने ही स्वयं जानबूझ कर प्रार्थीगण के नाम से पंजीबद्ध करवाया गया है ताकि अप्रार्थी क्रम–1 के नाम कोई सम्पत्ति नही रहने से अप्रार्थी क्रम–2 को भरण पोषण अदा किये जाने मे व्यवधान उत्पन्न किया जा सके इसलिये प्रार्थीगण अप्रार्थी क्रम–2 से किसी भी प्रकार से निवास से बेदखल करने को कतई अधिकार प्राप्त नही है। तथा नही अप्रार्थीया को शारीरिक मानसिक प्रताडित किया जाने का अधिकार प्राप्त है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी क्रम–2 के द्वारा कब मिलीभगत कर प्रार्थीगण के साथ गाली गलोच की लडाई झगडा किया तथा कब मकान से प्रार्थीगण को निकालने का प्रयास किया इस प्रकार से घटना की कोई भी तारीख का अंकन नही होने से प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होने से व्यय सहित खारीज फरमाये जाने योग्य है। तथा बिना कारण के उक्त प्रार्थना पत्र को श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार का महत्त्व नही रह जाता है बिना कारण उत्पन्न हुये प्रार्थना पत्र खारीज फरमाये जाने योग्य है। प्रार्थी क्रम–1 एवं अप्रार्थी क्रम–1 के विरूद्ध अप्रार्थीया क्रम–2 ने विधिक सूचना पत्र दिनांक 14/08/23 को अधिवक्ता के जये रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित किया गया। अप्रार्थी क्रम–1 एवं प्रार्थी क्रम–1 के विरूद्ध विवाद उत्पन्न होने से वर्ष 23 से विचाराधीन है जिसके चलते अप्रार्थी क्रम–2 के विरूद्ध अप्रार्थी क्रम–1 एवं प्रार्थीगण की मिलीभगत से एक कमरा निवास हेतु दे रखा है जिससे स्वयं खाना अलग पिछले एक वर्ष से अधिक समय से बना रही है तथा उक्त खाने को अप्रार्थी क्रम –1 भी नही खाता है तथा नही दोनो पुत्रीयो से बातचीत करता है अप्रार्थीया क्रम–1 बडे ही मुश्किल से दोनो पुत्रीयो के साथ अलग रहकर पालन पोषण कर रही है। उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी क्रम –1 की मिलीभगत से अप्रार्थी क्रम–2 को नाजायज शारीरिक मानसिक एवं आर्थिक रूप से परेशान करने एवं दबाव बनाने के आशय से झूठा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होने से सव्यय खारीज फरमाया जावे एवं अन्य न्यायोचित सहायता अप्राथी क्रम–2 के पक्ष मे माननीय न्यायालय उचित मानते हो पारित फरमाई जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण क्रम 2 की ओर से अधिवक्ता द्वारा अपने अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया। अप्रार्थी नं0 1 की ओर से बहस नही की गई।

उपरोक्तानुसार बाद बहस पत्रावली में निहित दस्तावेजों का अवलोकन एवं बहस में दर्शित तथ्यों पर मनन किया गया। प्रार्थीगण की ओर से कथन किया गया है कि "अप्रार्थी क्रम 2 ने प्रार्थीगण के साथ अभद्र व्यवहार करते हुये कई मर्तबा प्रार्थीया क्रम 2 के साथ गाली गलौच करते हुये मारपीट भी गई जिससे प्रार्थीया क्रम 2 को काफी चोट भी आई।" परन्तु प्रार्थीगण की ओर से अपने उक्त कथन के समर्थन में किसी प्रकार की मेडिकल या पुलिस रिपोर्ट पेश नही की गई है। इसके विपरीत अप्रार्थी नं0 2 द्वारा कथन किया है कि अप्रार्थी क्रम

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

1 एवं प्रार्थी क्रम 1 के विरूद्ध अप्रार्थी क्रम 2 द्वारा गलत हरकते करने की वजह से एवं मारपीट झगडा कर गाली गलोच करने की वजह से विधिक सूचना पत्र दिनांक 14/08/23 को प्रेषित किया गया था जो प्रार्थी क्रम 1 एवं अप्रार्थी क्रम 1 को प्राप्त होने के पश्चात् भी आचरण व्यवहार मे परिवर्तन नही किया गया तत्पश्चात अप्रार्थी क्रम 2 द्वारा अप्रार्थी क्रम 1 एवं प्रार्थीगण के विरूद्ध घरेलु हिंसा से स्त्री का संरक्षण हेतु प्रार्थना पत्र न्यायालय एसीजेएम क्रम 1 कोटा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अपने उक्त कथन के समर्थन में अप्रार्थी नं0 2 की ओर से दिनांक 04.10.2024 को फर्द दस्तावेज पेश किये गये। उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के साथ बदसलूकी, गाली गलौच एवं मारपीट करने एवं प्रार्थीगण को मकान से बेदखल करने का कथन किया है परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपने वर्णित कथनों के सम्बंध में इस प्रकार का कोई भी दस्तावेज या सबूत या रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई जिससे प्रार्थीगण के कथनों को प्रमाणित किया जा सके। जिस कारण से प्रार्थीगण अपने उक्त कथनों को सिद्ध करने में असमर्थ रहे है। अतः प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को वर्णित मकान 59 गायत्री विहार द्वितीय बोरखेड़ा कोटा से बेदखल किये जाने की प्रार्थना स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। किन्तु न्यायहित में अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है वे प्रार्थीगण के साथ भविष्य में अभद्र व्यवहार एवं मारपीट ना करे एवं उपरोक्त वर्णित मकान 59 गायत्री विहार द्वितीय बोरखेड़ा कोटा में प्रार्थीगण के शांतिपूर्वक निवास, उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें।

उक्त निर्णय आज दिंनाकः.....29/11/24.....को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा